न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 202/2024
अनवान : –

1. गोपाल राम पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ साकिन थिराना तहसील नोहर ।

– सायल

बनाम्

1. हेतराम पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय

दिनांकः 15/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 253/225 की कुल 16.1880 हैक्ट भूमि सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 419/358 की कुल 3.7180 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल स0 1 का सायल के ख0न0 229 व 225 व ख0न0 492/2 के चिपता हुआ है गैरसायल स0 1 सायल के ख0न0 229 की सींव व डोल को तोड़कर सायल के खेत मे जाना चाहता है एवं गैरसायल ने सायल के खेत की तारबंदी भी उखाड़ दी है इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि की सीव व डोल को मिस्मार न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 253/225 के ख0न0 229/2 की 4.1230 हैक्ट ख0न0 229/3 की 1.8970 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव व डोल को मिस्मार न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता [illegible] धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने [illegible] पत्र, उभयपक्ष [illegible]स्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर [illegible]हुंचे है कि वादग्रस्त [illegible] बाबत हकों का

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी एक दुसरे के चिपते पड़ौसी काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में दखल दिया जा रहा है एव तारबंदी उखाडने की फिराक में है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा हो, उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 06.08.204 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:20 IST
Reason: SelfAttested